26.7.23

आज यह पत्रावली प्रारंभिक रूप
मय अधिवक्ता के प्रा० पत्र लेकर बहस
पेश करने पर पेश हुई।

हमने सभी एवं उनके अधिवक्ता
को सुना तथा प्रा० पत्र दावा की जानकारी
को सलग्न मूल वाद है।

दावा बाड़ी विक्रय किया जा चुका
है। दावा विक्रय के अनेक प्रा० पत्र
जो RTA को चलाये जाने योग्य
औचित्य नहीं है अतः प्रा० पत्र
धारा 12 RTA इसी Stage पर खारिज
किया जाता है तथा 20 नामजद
के जारी सम्मन दिनांक 23.5.23
को निरस्त किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नियमानुसार
तथा सलग्न मूल वाद है।

हेमराज गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (मध्य)
पुष्कर (अजमेर)